हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत प्रकरण निम्न प्रकार है कि प्रार्थी रामभरोस पुत्र आनन्दीलाल जाति माली निवासी अर्जुनपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण नम्बर 01 व 02 द्वारा सम्मानीय न्यायालय में प्रार्थी एवं प्रतिवादी नम्बर 03 के विरूद्व हक घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। जिसे सम्मानीय न्यायालय द्वारा 29.06.2016 को अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश की अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा में प्रस्तुत हुयी। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा 06.10.2016 को स्वीकार की जाकर सम्मानीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश 29.06.2016 अपास्त कर दिया गया। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के आदेश दिनांक 06.10.2016 की अप्रसन्नता से प्रार्थी रामभरोस ने द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उक्त अपील 23.08.2017 को खारिज कर दी गई। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2017 की अप्रसन्नता से प्रार्थी रामभरोस ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका बउनवानी रामभरोस बनाम मुसामात रामचन्द्रीबाई वगैरह एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 18624/2017 प्रस्तुत की। उक्त रिट याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 22.11.2017 को निम्न आदेश पारित किया गया :–

"In view of the above and in absene of agreement between the parties matter can not be adjudicated by bringing it under sce 136 of the Act of 1956 in hold to be illegal so as Conseqential orders. They are accordingly set aside with remand of the case to SDO court to adjudicate the suit looking to the Intervening period, it would be decided expeditiously and if possible with in the period of one year. The parties are directed to remain present before the SDO court on 6th December, 2017 They are further directed to lead evidence as otherwise challenge is made to the entries changed by the settlement officer and his competance the writ petition stands disposed of with the aforesaid,"

प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 23.08.2017 के उपरान्त खसरा नम्बर 194 रकबा 0.07 है0 भूमि प्रार्थीगण क्रमांक 01 व 02 के खाते में दर्ज कर दी गई। तथा नया खसरा नम्बर 529/194 रकबा 0.07 है0 बनाकर अप्रार्थीगण के खाते दर्ज कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.11.2017 से माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा का

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

निर्णय दिनांक 06.10.2016 तथा माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 23.08.2017 निरस्त किये जा चुके है। अतः प्रार्थी गलत त्रुटिपूर्ण एवं अवैधरूप से नामान्तकरण संख्या 555 दिनांक 28.11.2016 किये गये इन्द्राज को विलोपित करवाकर हाल खसरा नम्बर 526/194 रकबा 0.07 है0 भूमि अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी रामभरोस द्वारा निवेदन किया गया है कि हाल खसरा नम्बर 529/194 रबका 0.07 है0 भूमि प्रतिपक्षी नम्बर 04 व 05 के खाते से हटायी जाकर पुनः पूर्ववत प्रार्थी रामभरोस के खाते दर्ज किया जावें।

अप्रार्थी क्रमांक 01 व 02 द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे में इन्द्राज दुरूस्ती व अमलदरामद किये जाने का आदेश तहसीलदार लाडपुरा के नाम अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने पारित किया था ना कि उपखण्ड अधिकारी कोटा ने, इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टतया खारिज किये जाने योग्य है। विद्वान अभिवक्ता अप्रार्थी का यह भी कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 22.11.2017 में दोनो पूर्ववर्ती निर्णय निरस्त नही किये गये है। सिर्फ उक्त कार्यवाही को उपखण्ड अधिकारी कोटा के यहां 136 के स्थान पर पूर्व में प्रस्तुत वाद धारा 88, 89, 92(ए), 188 राजस्थान काश्कारी अधिनियम के अन्तर्गत, जो प्रस्तुत किया गया था, उसको यथावत दावे के रूप में दर्ज कर साक्ष्य उपरान्त निर्णित करने हेतु भेजते हुए यह निर्देश प्रदान किया गया है कि 06.12.2017 को पक्षकार वहां उपस्थित हो और 01 वर्ष के अन्दर उक्त वाद को निस्तारित किया जावें। विद्वान अप्रार्थी का यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा वाद को निर्णित न करवाकर वाद को डिले करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अप्रार्थी क्रमांक 04 व 05 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल व अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा पारित निर्णयों की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत नही की गई है। अतः इन निर्णयों को सशपथ न्यायालय में डिस्कवर करवाया जायें। अप्रार्थी क्रमांक 04 व 05 के उक्त प्रार्थना पत्र का प्रतिउत्तर प्रार्थी रामभरोस द्वारा प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त दस्तावेज सम्मानीय न्यायालय के दावे की पत्रावली में संलग्न है। प्रार्थी द्वारा उक्त दस्तावेज इस प्रतिउत्तर के साथ पुनः न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि यह प्रार्थना पत्र महज प्रकरण को लम्बा करने के उद्देश्य से असद्भाविक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

बहस वकुलाय फरिकेन सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अनुरोध किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त व राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त कर दिया गया है। चुंकि आदेश निरस्त हो चुके है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी स्वीकार किया जाकर पूर्वत स्थिति बहाल की जावें। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2019 आर0बी0जे0 505 तथा यशवन्त सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान– 132 प्रस्तुत किये गये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण को एक साल में निर्णित करने के आदेश दिये गये थे लेकिन 2017 से आज तक रिमाण्ड प्रकरण पर सुनवाई भी प्रारम्भ नही हुयी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पूर्णतया निरस्त नही किये गये है बल्कि रिमाण्ड किये गये है। इसलिए न्यायिक दृष्टान्त चस्पा नही होते है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश है कि हस्तगत प्रकरण को दावे के रूप में ट्रिट कर हस्तगत प्रकरण का निपटारा किया जावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जाप्ता दीवानी खारिज किया जाकर वाद में नियमित सुनवाई प्रारम्भ की जावें। हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा वकुलाय फरीकेन बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया। न्यायिक दृष्टान्त 2019 आर0बी0जे0 505 से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। संदर्भित न्यायिक दृष्टान्त में वादी द्वारा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जो उपखण्ड अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया था, इसके विरूद्व अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। जो न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गई। जिसकी पालना में नामान्तकरण तस्दीक हुआ। न्यायायल राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय की अपील माननीय राजस्व मण्डल में की गयी। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय निरस्त कर दिया गया। तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय में प्रकरण प्राप्त होने पर प्रार्थी द्वारा धारा 144 सहपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नामान्तकरण से पूर्व की स्थिति बहाल करने का निवेदन किया गया। इस प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्धारित किया गया कि जब अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन कर दिया जाता है लेकिन अगर अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दी जाती है तब राजस्व रिकॉर्ड में पहले की स्थिति बहाल की जावेगी। स्पष्टतया न्यायिक दृष्टान्त 2019 आर0बी0जे0 505 हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है। परिणामतया प्रार्थी द्वारा धारा 144 सहपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा किये गये आदेश की पालना में नामान्तकरण से पूर्व की स्थिति बहाल करने का आदेश पारित किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा	